अनुदान संख्या 23 - पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
GRANT No. 23 - MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	2140,04,00		2140,06,00	777,42,88	-1362,63,12
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1362,50,55
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	670,96,00		784,72,00	341,27,89	-443,44,11
पूरक	Supplementary	113,76,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					443,32,86

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय – सामान्य सेवायें	Secretariat - General Services				
मू.	O.	1841.00	3000.03	2999.62	-0.41
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	1158.03			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “2552”	Major Head “2552”				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	181659.00			
पू.	S.	1.00	68927.44	68915.35	-12.09
पु.	R.	-112732.56			
मुख्य शीर्ष “3601”	Major Head “3601”				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	28245.00			
पु.	R.	-24374.59	3870.41	3870.41	..

(I) पांच शीर्षों के अंतर्गत ₹10145.10 लाख का प्रावधान (₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा जिसमें से ₹9645.00 लाख मुख्य शीर्ष “3601” – “राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान” – के अंतर्गत लेखाबद्ध थे :–

(I) Provision of ₹10145.10 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.10 lakh) remained wholly unutilized under five heads; of these ₹9645.00 lakhs accounted for under Major Head “3601” - “Other Transfer/Grants to States” - under the following heads :-

(का) “संविधान की अनुसूची VI में शामिल स्वायत्त शासी परिषदों और क्षेत्रों को अनुदान – स्वायत्त शासी क्षेत्रीय परिषदों को विशेष विकास पैकेज” – ₹4400.00 लाख;

(A) “Grants to Autonomous Councils and areas covered under Schedule VI of the Constitution - Special Development Package to Autonomous Territorial Council” - ₹4400.00 lakhs;

(खा) “पूर्वोत्तर परिषद की योजनायें – विशेष विकास परियोजनायें” – ₹2245.00 लाख; और

(B) “Schemes of North Eastern Council - Special Development Project” - ₹2245.00 lakhs; and

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – विशेष विकास परियोजना” – ₹3000.00 लाख।

(C) “Tribal Area Sub-Plan - Special Development Project” - ₹3000.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान राज्यों के खजानों से होते हुए केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों की निधियां भेजना समाप्त करने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provision under the above three heads remained unutilized due to discontinuation of routing of funds of Central Sector Scheme through State Treasuries.

(II) मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय संसाधन पूल में अंशदान" –

(क) "पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष अवसंरचना विकास योजना" – ₹19575.09 लाख की बचत (₹31879.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों से कम संख्या में उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने और निधियों का संशोधित आवाह कार्यान्वित होने के कारण हुई।

(ख) "पूर्वोत्तर परिषद की स्कीमें" – ₹18740.84 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹34829.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन्कर्ता अभिकरणों से कम संख्या में उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने, हाल ही में स्थापित पूर्वोत्तर अनुसंधान केंद्र को कम निधियों की आवश्यकता, व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने और सीएनए द्वारा निधियों को जारी करने की अधिकतम सीमा तय करने के कारण हुई।

(ग) "गैर व्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर)" – ₹28912.14 लाख की बचत (₹31905.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– अनुसूचित जातियों का कल्याण – आर्थिक विकास" – ₹8720.39 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹22554.25 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – पूर्वोत्तर परिषद की योजनायें" – ₹37179.20 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹0.05 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹59895.05 लाख के स्वीकृत अनुदान की तुलना में।

(II) Under Major Head "2552" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Contribution to central resource pool for development of North Eastern Region" -

(a) "North East Special Infrastructure Development Scheme" - saving of ₹19575.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31879.00 lakhs) was due to less receipt of utilization certificates from implementing agencies and implementation of revised flow of funds.

(b) "Schemes of North Eastern Council" - saving of ₹18740.84 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹34829.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh obtained in December, 2022) was due to less receipt of utilization certificates from implementing agencies, requirement of less funds by newly setup North East Research Centre, non-receipt of viable proposals and ceiling on release of funds by CNA.

(c) "Non-Lapsable Central Pool of Resources (NLCPR)" - saving of ₹28912.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31905.00 lakhs);

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Welfare of Scheduled Castes Economic Development" - saving of ₹8720.39 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹22554.25 lakhs including token supplementary grant of ₹0.25 lakh obtained in December, 2022) ; and

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Schemes of North Eastern Council" - saving of ₹37179.20 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹59895.05 lakhs including token supplementary grant of ₹0.05 lakh obtained in December, 2022).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों से कम संख्या में उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने और सीएनए द्वारा निधियां जारी करने की अधिकतम सीमा तय करने के कारण हुई।

Savings under the above three heads were due to less receipt of proposals and utilization certificates from implementing agencies and ceiling on release of funds by CNA.

(III) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(III) Under Major Head "3601" - "Other Transfer/Grants to States" - savings occurred under the following heads:-

(का) "उत्तर पूर्वी परिषद की स्कीमें – उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास योजना के लिए ईएपी" – ₹3171.26 लाख की बचत (₹6000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम लागत पर परियोजना पूरी होने के कारण हुई।

(A) Schemes of North Eastern Coundil - "EAP for North East Road Sector Development Scheme" - saving of ₹3171.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6000.00 lakhs) was due to completion of projects at reduced cost.

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" –

(क) "स्वायत्त शासी क्षेत्रीय परिषद को विशेष विकास परियोजनायें" – ₹5103.05 लाख की बचत (₹6100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य के खजानों से होकर केंद्रीय क्षेत्र की योजना की निधियां प्रदान करना रोकने के कारण हुई।

(ख) "पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम" – ₹5955.28 लाख की बचत (₹6000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और राज्य सरकारों से कम संख्या में उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "Tribal Area Sub-Plan" -

(a) "Special Development package to Autonomous Territorial Council" - saving of ₹5103.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6100.00 lakhs) was due to discontinuation of routing of funds of Central Sector Scheme through State Treasuries.

(b) "Hill Area Development Programme" - saving of ₹5955.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6000.00 lakhs) was due to less receipt of proposals and utilization certificates from the State Governments.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹301.50 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत थी।

(IV) Under one head saving of ₹301.50 lakhs occurred constituting 13 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए आंशिक रूप से (₹1587.43 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसंबर, 2022 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :–

2. The above savings were partly (₹1587.43 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in December, 2022 under the following major heads :-

(का) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय" – ₹1191.43 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹1191.33 लाख हुआ।

(A) Major Head "2052" - "Secretariat - Ministry of Development of North Eastern Region" - ₹1191.43 lakhs. Actual excess, however, was ₹1191.33 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" – "जनजातीय क्षेत्र उप योजना– राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण कार्यक्रम" – ₹396.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹395.70 लाख हुआ।

(B) Major Head "2552" - "Tribal Area Sub - Plan - National Tribal Welfare Programme" - ₹396.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹395.70 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में समग्र बचतें (₹44344.11 लाख) दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में प्राप्त ₹11376.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक थीं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 57 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹44344.11 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹11376.00 lakhs obtained in December, 2022 and March, 2023 and constituted 57 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :–

Savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552" पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	61696.00			
		11376.00	28939.14	28927.89	-11.25
पु.	R.	-44132.86			

(I) निम्नलिखित चार शीर्षों के अंतर्गत ₹5300.00 लाख का प्रावधान (₹4000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें से ₹4600.00 लाख मुख्य शीर्ष "4552" – के निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध थे :–

(I) Provision of ₹5300.00 lakhs (including supplementary grants of ₹4000.00 lakhs) remained wholly unutilised under four heads; of these ₹4600.00 lakhs accounted for under Major Head "4552" - under the following heads :-

(का) "सड़कें और पुल – पूर्वोत्तर क्षेत्र में फुट सस्पेंशन पुलों/आरसीसी पुलों सहित सडकों/पुलों का निर्माण/सुधार" – ₹600.00 लाख; और

(A) "Roads and Bridges - "Construction/ improvement of Roads and Bridges including Foot Suspension Bridges/RCC Bridges in North Eastern Region" - ₹600.00 lakhs; and

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – प्रधान मंत्री की

(B) "Tribal Area Sub Plan - Prime Minister's

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए विकास पहल" – ₹4000.00 लाख का पूरक प्रावधान।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान राज्य सरकारों और कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों से दस्तावेज देरी से प्राप्त होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "4552" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "सडकें और पुल – पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास योजना"– ₹43576.87 लाख की बचत (₹43596.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों से कम संख्या में दस्तावेज और उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने और सीएनए द्वारा निधियों के जारी करने की अधिकतम सीमा तय करने के कारण हुई।

(खा) "सामान्य निर्माण – पूर्वोत्तर परिषद की योजनायें – पूंजीगत" – ₹3450.00 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों से कम दस्तावेजों और कम संख्या में उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने और द्वारका स्थित पूर्वोत्तर केंद्र के कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए आंशिक रूप से (₹8121.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "4552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत दिसंबर, 2022 में ₹8000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :–

(का) "सामान्य निर्माण कार्य – प्रधान मंत्री की पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विकास पहल (पीएम–डीईवीआईएनई)" – ₹5839.00 लाख।

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– प्रधान मंत्री की पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विकास पहल (पीएम–डीईवीआईएनई)" – ₹2282.00 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹2271.10 लाख हुआ।

Development initiative for North East Region (PM-DevINE)" - supplementary provision of ₹4000.00 lakhs.

Provision under the above two heads remained unutilised due to late receipt of documents from the State Governments and implementing agencies.

(II) Under Major Head "4552" - savings occurred under the following heads -

(A) "Roads and Bridges - North East Road Sector Development Scheme" - saving of ₹43576.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹43596.00 lakhs) was due to less receipt of documents and utilization certificates from the implementing agencies and ceiling on release of funds by CNA.

(B) "General Construction - Schemes of North Eastern Council - Capital" - saving of ₹3450.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was due to less receipt of documents and utilization certificates from the implementing agencies and slow progress of work at North Eastern Centre at Dwarka.

4. The above savings were partly (₹8121.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹8000.00 lakhs in December, 2022 under Major Head "4552" under the following heads :-

(A) "General Construction - Prime Minister's Development initiative for North East Region (PM-DevINE)" - ₹5839.00 lakhs.

(B) "Special Component Plan for Scheduled Caste - Prime Minister's Development initiative for North East Region (PM-DevINE)" - ₹2282.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2271.10 lakhs.